

न्यायालय तालुका विधिक सेवा(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या-02)केकड़ी

राष्ट्रीय लोक अदालत-2022 मुकाम भिनाय
प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./22/2022

1. प्रेम पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी सिंगावल तहसील भिनाय जिला अजमेर।

प्रार्थीगण

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- युसुफ मौहम्मद

2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक- 14.05.2022

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा सिंगावल पटवार क्षेत्र सिंगावल भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 308 में दर्ज खसरा नं. 1426 रकबा 0.03, ख.न. 1427 रकबा 0.65, ख.न. 1672 रकबा 0.16, ख.न. 1674 रकबा 0.64, ख.न. 1790 रकबा 1.30 और ख.न. 3513 रकबा 0.14 कुल कित्ता 06 कुल रकबा 2.9200 हैं0 जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 1 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत कर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी होना स्वीकार करते हुए पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित होना बताया। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया हैं।

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत-2022 के तहत पेश हुआ। उपस्थित बेंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। ऐसी स्थिति में बेंच सदस्यों द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा सिंगावल पटवार क्षेत्र सिंगावल भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 308 में दर्ज खसरा नं. 1426 रकबा 0.03, ख.न. 1427 रकबा 0.65, ख.न. 1672 रकबा 0.16, ख.न. 1674 रकबा 0.64, ख.न. 1790 रकबा 1.30 और ख.न. 3513 रकबा 0.14 कुल कित्ता 06 कुल रकबा 2.9200 हैं0 प्रार्थीगण की खातेदारी होने से भू-अभिलेख निरीक्षक सिंगावल को राष्ट्रीय लोक अदालत की मशानुरूप निःशुल्क मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पड़ोसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.222 को बेंच सदस्यों द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास लोक अदालत में सुनाया गया।

(युवराज सिंह)
अध्यक्ष
रा0 लोक अदालत



(प्रभात त्रिपाठी)
सदस्य
रा0 लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज